

विदेशी व्यापार करार : एक विश्लेषण*

रुकी हुई बहुपक्षीय वार्ताओं के वर्तमान परिवेश के कारण क्षेत्रीय व्यापार करारों में तेजी आई है और भारत ने भी अपनी विदेश व्यापार नीति को बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप तालमेल बनाए रखने के लिए ढाला है। यह लेख व्यापार करारों (टीए) के भारतीय व्यापार पर प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन यह अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया है कि भारत का व्यापार अपने व्यापार करार भागीदार देशों की तुलना में गैर-भागीदार देशों के साथ कैसे विकसित हुआ है। यह अध्ययन भागीदार देशों के साथ भारत के व्यापार की मात्रा में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए भिन्न दृष्टिकोण के भिन्न अंतर का प्रयोग करता है। व्यापार करार होने के बाद भारत और भागीदार देशों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि देखी गई। टीए का एक सकारात्मक प्रभाव व्यापार भागीदार देशों से पूंजीगत सामान और औद्योगिक आपूर्तियों की आवक में वृद्धि रहा। इसने अप्रत्यक्ष रूप से देश में उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया।

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली की दिशा में कार्रवाई की गई और देशों ने व्यापार बाधाओं को खत्म करने के लिए प्रयास किए। प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) में किए गए प्रारंभिक प्रयासों और उसके बाद इसके उत्तराधिकारी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत विश्व में लागू प्रशुल्कों के औसत मूल्य में 1947¹ की तुलना में 85 प्रतिशत की गिरावट आई।

बहुपक्षीय प्रणाली से उत्पन्न लाभों के होते हुए भी रुकी हुई बहुपक्षीय वार्ताओं के वर्तमान परिवेश के कारण क्षेत्रीय व्यापार करारों में तेजी आई है जिसमें देश बहुपक्षीयता के स्थान पर

* यह लेख रेखा मिश्रा और सोनम चौधरी, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेखक मूल्यवान सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से विनिमय दर श्रृंखला बनाने के लिए जितन सोकल का धन्यवाद करते हैं।

¹ मुखिसा किट्टी (2018). द कॉस्ट ऑफ ट्रेड वार, यूएनसीटीएडी।

द्विपक्षीयता की ओर बढ़े हैं। भारत ने भी अपनी विदेश व्यापार नीति को बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप तालमेल बनाए रखने के लिए ढाला है। तदनुसार भारत ने लगभग 54 देशों के साथ अधिमान्य एक्सेस, आर्थिक सहयोग और टीए पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस पृष्ठभूमि में यह लेख भारत के व्यापार पर व्यापार करारों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। निर्यातों, आयातों और समग्र व्यापार पर प्रभाव के अलग-अलग विश्लेषण द्वारा यह लेख यह अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है कि भारत अपने व्यापार करार भागीदार देशों की तुलना में गैर-भागीदार देशों के साथ कैसे विकसित हुआ है। व्यापार करारों से संबंधित प्रयोगसिद्ध आंकड़ों के साथ-साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में खंड I में बताया गया है। खंड III संबंधित साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा उपलब्ध करवाता है। प्रयोगसिद्ध विश्लेषण सहित भारत के टीए के संबंध में वर्तमान स्थिति खंड IV में दी गई है। खंड V में निष्कर्ष संबंधी टिप्पणियां दी गई हैं।

II. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रयोगसिद्ध तथ्य

व्यापार करार ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा देश एक-दूसरे को वरीयता देते हैं और प्रशुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं को हटाकर व्यापार करने को सुकर बनाने में सहायता करते हैं। टीए दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो सकता है जो कि मुख्यतया उनके बीच होने वाले अधिकांश व्यापार के संबंध में प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या हटाने पर सहमत होते हैं। औपचारिक टीए में कई सारी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं- प्रशुल्क प्राथमिकता के लघु मार्जिन से लेकर पूर्ण स्तर पर आर्थिक एकीकरण तक। टीए में कई विनिर्देशन शामिल हो सकते हैं जैसे कि आंशिक स्कोप करार (पीएसए), मुक्त व्यापार करार (एफटीए), कस्टम यूनियन (सीयू), कॉमन मार्केट या आर्थिक संघ। आमतौर पर व्यापार करारों का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना होता है जिसमें गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार में अनिवार्यतः पक्षपात किया जाना शामिल होता है। टीए की संरचना के अनुसार इसमें सकारात्मक और नकारात्मक बाह्यताएं होती हैं।

टीए मुख्यतया यूरोपीय देशों के बीच शुरू किए गए। शुरुआत में टीए कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थे और मुख्य रूप से औपनिवेशिक साम्राज्यों के प्रभाव वाले भौगोलिक क्षेत्रों तक

ही सीमित थे और इन्होंने आम तौर पर द्विपक्षीय वाणिज्यिक संधियों का रूप ले लिया। उन्नीसवीं शताब्दी में सामान की सीमा पार आवाजाही में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक खुलापन और उदारीकरण हुआ और इन्होंने द्विपक्षीय व्यापार संधियों की प्रकृति और दायरे को बदल दिया। 1860 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कॉबडेन-शेवेलियर संधि को इस संबंध में अग्रणी के रूप में माना जा सकता है क्योंकि इसमें पहली बार सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र² (एमएफएन) खंड शामिल किया गया और इसने दो देशों के बीच महत्वपूर्ण पारस्परिक प्रशुल्क कटौती की अगुआई की। कॉबडेन-शेवेलियर संधि ने अन्य यूरोपीय आर्थिक शक्तियों में द्विपक्षीय वार्ताओं का एक दौर शुरू कर दिया। बाद में यह संधि इसका पालन करने वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्धी व्यापार उदारीकरण की पूर्ववर्ती सिद्ध हुई। संधियों का यह नया नेटवर्क पारस्परिक और समावेशी (एमएफएन खंड के माध्यम से) दोनों ही था इसलिए यह अनिवार्यतः आपस में जुड़ा हुआ भी था- इसने बहुपक्षीय अधिमान्य व्यापार करार (अर्थात् संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों के बीच में बिना किसी शर्त पर एमएफएन व्यवहार) के प्रारंभिक रूप को तैयार किया और एक सदी के बाद आकार लेने वाली बहुपक्षीय प्रणाली की आधारभूत संरचना का पूर्वाभास भी किया (ब्राउन, 2003)। इन द्विपक्षीय करारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश गैट प्रणालियों की नींव रखी।

1947 में गैट के गठन के साथ एक व्यापक बहुपक्षीय करार का विचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में अग्रणी हो गया। फिर भी गैट प्रणाली पर आरंभ में हस्ताक्षर करने वाले सिर्फ 23 देश ही थे। बाद में यह डब्ल्यूटीओ की लगभग सार्वभौमिक सदस्यता के रूप में विकसित हुआ। तथापि गैट के रूप में एक बहुपक्षीय प्रणाली की उत्पत्ति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने में द्विपक्षीय या क्षेत्रीय करारों के महत्व को कम नहीं किया। एक बहुपक्षीय प्रणाली के होते हुए भी द्विपक्षीय/विविधपक्षीय करारों, जो कि इसकी परिधि से बाहर हैं, में बहुत ही कम समय में तेजी, विशेषरूप से यूरोप में, पुनः सामने आ गई। इस विकास का परिणाम क्षेत्रीयवाद और बहुपक्षवाद दोनों में ही समवर्ती उन्नति के रूप में देखा गया। वास्तव में गैट 1994 के अनुच्छेद XXIV में व्यापार करारों के लिए वैधानिक समर्थन शामिल है। यह अनुच्छेद सदस्य देशों को अत्यधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के सिद्धांत से छूट देता है और अधिमान्य देशों के बीच आयात

² यह गैट में निहित है और एक सदस्य के व्यापार भागीदारों के बीच में भेदभाव नहीं करने का सिद्धांत है।

करार के अनुसमर्थन के माध्यम से देशों के बीच में आपसी आयातों को अनुमति प्रदान करता है। डब्ल्यूटीओ तीन प्रकार के व्यापार करारों को अनुमति प्रदान करता है। ये हैं:


- अनुच्छेद XXIV के अंतर्गत संस्वीकृत कस्टम यूनियन और मुक्त व्यापार करार ;
- विकासशील देशों के बीच समर्थनकारी खंड के अंतर्गत बनाए गए विकासशील देशों के बीच करार जो कि अधिमान्य व्यवहार की अनुमति देते हैं; तथा
- सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) के अंतर्गत करार जो कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को अधिमान्य व्यवहार करने की अनुमति देते हैं।

टीए की अनुमति प्रदान करने वाले गैट के अनुच्छेद XXIV के अंतर्गत विशिष्ट शर्तें निम्न हैं-

- एफटीए सदस्य एफटीए के गठन से पूर्व विद्यमान प्रतिबंधों को छोड़कर गैर सदस्यों के साथ व्यापार के बारे में उच्च या अधिक प्रतिबंधात्मक प्रशुल्क या गैर प्रशुल्क अवरोधक खड़े नहीं करेंगे।
- घटक क्षेत्रों के बीच में प्रशुल्कों और अन्य प्रतिबंधों को दूर करना और उन्हें प्रत्येक क्षेत्र से उत्पादित होने वाले उत्पादों के संबंध में वस्तुतः सभी व्यापारों पर लागू करना।
- टीए के अंदर ड्यूटियों और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को एक उचित समय के अंदर समाप्त किया जाना अर्थात् अधिक से अधिक दस वर्ष की अवधि के अंदर।
- इसके अलावा, एक समर्थनकारी खंड जो अनुच्छेद XXIV के अंतर्गत दी गई शर्तों का पालन किए बिना विकासशील देशों को वरीयता देने वाली व्यापार व्यवस्थाएं बनाने की अनुमति देता है।

वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य हैं। जुलाई 2018³ में इसमें शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य लाइबेरिया है और अधिकांश सदस्य कम से कम एक टीए में सहभागी हैं। टीए के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधे से अधिक आता है और यह डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत वैश्विक बहुपक्षीय करारों के साथ-साथ परिचालित होता है। 1950 के दशकों से सक्रिय व्यापार करारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही, जो 1990 में लगभग

³ 6 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार।



70 हो गई। उसके बाद टीए गतिविधि में काफी तेजी आई, जिससे अगले पांच वर्षों में टीए की संख्या दोगुना से अधिक हुई और 2010 तक चार गुना से अधिक हो गई (डब्ल्यूटीओ, 2011)। 03 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूटीओ के पास 695 टीए अधिसूचित किए गए, जिनमें से वर्तमान में 481 अमल में हैं (चार्ट 1)। अनेक देशों द्वारा बहिर्मुखी नीतियों की ओर रुख बदलने के कारण टीए की वास्तविक संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई और 1990 दशकों के पूर्वार्द्ध से उसमें तेजी आने लगी। इसके कारण उस समयवधि की तुलना में व्यापार करारों की मांग में उछाल आया, जब अंतर्मुखी विकास कार्यनीतियों का वर्चस्व था।

III. साहित्यिक समीक्षा

व्यापार करार 1950 दशकों के पूर्वार्द्ध से ही अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। परंपरागत आर्थिक सिद्धांत ने प्रत्येक सदस्य देश पर टीए के कल्याणकारी प्रभाव के परीक्षण की मांग की है, यथा- समग्र रूप से एक ब्लॉक के स्तर पर और विश्व के अन्यो के संदर्भ में। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर टीए के परिणाम स्पष्ट रूप से सकारात्मक नहीं हैं। टीए व्यापार के फैलाव और वैश्विक कल्याण में योगदान कर सकता है, वहीं उससे कल्याण में कमी भी आ सकती है। समग्र कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इन करारों से तुलनात्मक लाभ पर आधारित नए व्यापार तरीकों का सृजन होता है या अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी गैर-सदस्य से व्यापार

ब्लॉक के एक सदस्य का रूप लेने से व्यापार में बदलाव आता है। टीए का प्रभाव विश्लेषण या तो ऐतिहासिक आंकड़ों के संदर्भ में पश्चगामी होता है या फिर पूर्वानुमानों के आधार पर होता है। सामान्यतः पश्चगामी अध्ययनों में व्यापार को बढ़ावा देने में टीए के प्रभाव के विश्लेषण हेतु गुरुत्वमूलक समीकरण का प्रयोग होता है (टिनबर्गन (1962) और बेर्गस्ट्रैंड (1985))। सबसे पहले इसकी जांच जेकब विनर (1950) ने की थी, जिन्होंने व्यापार सृजन और व्यापार विचलन की संकल्पनाओं की शुरुआत की थी। विनर ने उस स्थिति को व्यापार सृजन की परिभाषा के रूप में बताया है, जब किसी अधिमानी व्यापार ब्लॉक के एक सदस्य को अमुक उत्पाद तैयार करने में तुलनात्मक लाभ मिला है और व्यापारगत अड़चनों को दूर किए जाने के कारण वह अब मुक्त व्यापार क्षेत्र के भागीदारों को बेचने में समर्थ हुआ है। व्यापार विचलन का तात्पर्य ऐसे मुक्त व्यापार करार बनने के बाद कल्याण में होने वाली कमी से है, जिसके कारण व्यापार ब्लॉक से इतर देश से होने वाले निम्न लागत आयातों में बदलाव होता है (अनुबंध-1)। विनर ने अपने सेमिनल पत्र में यह दर्शाया है कि नियमित आधार पर व्यापार उदारीकरण का निवल प्रभाव सुस्पष्ट रूप से कल्याणवर्धक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मीड (1955) ने एक सामान्य समीकरण मॉडल में व्यापार ब्लॉकों के प्रथम कल्याणमूलक सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उसके बाद मीड के मॉडल का प्रयोग टीए के कल्याणमूलक प्रभाव का पता लगाने के लिए किया गया, जिसमें लिप्से (1958), मंडेल

(1964), वनेक (1965), कॉर्डेन (1972) और मैकमिलन और मैकैन (1981) ने काफी योगदान किया।

टिनबेर्गेन (1962) ने सदस्य देशों के लिए व्यापार पर अंग्रेजी राष्ट्र-मंडल के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए गुरुत्वमूलक मॉडल का प्रयोग किया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि व्यापार प्रवाहों पर टीए के 'औसत उपचार प्रभाव' आर्थिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं रखता। उक्त पत्र में यह पाया गया कि टीए से सदस्य देशों में होने वाले व्यापार प्रवाहों में केवल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। टिनबेर्गेन के बाद कई लेखकों, जैसे ऐटकेन (1973), ऐब्रम्स (1980), तथा ब्राडा और मेंडेज़ (1983), ने यह पाया कि सदस्यों के बीच व्यापार प्रवाहों पर टीए का काफी प्रभाव होता है, वहीं बेर्गस्ट्रैंड (1985) तथा फ्रेंकेल, स्टीन और वी (1995) ने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है।

टीए पर सैद्धांतिक साहित्य के अनुसार करार-विशेष का वर्गीकरण लाभकारी या नुकसानदेह के रूप में किया जाना उसमें शामिल देशों और उस व्यापार की सीमा पर निर्भर करता है, जिसकी तुलना अपयोजित व्यापार के साथ की जाती है (पनगारिया, 2000)। इन प्रभावों का मूल्यांकन करने वाला प्रयोगसिद्ध ढांचा विशेष महत्व रखता है। बर्फिशर और उनके सहयोगी (2001) ने यह नोट किया कि टीए का प्रभाव वस्तुतः व्यावहारिक मुद्दा है, जिसका निपटान आंकड़ा विश्लेषण से किया जाए। क्रमैन (1991) ने क्षेत्रीय टीए की सापेक्षिक खूबियों का विश्लेषण किया। उक्त आलेख में टीए की संख्या में बदलाव आने पर वैश्विक कल्याण में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है। उस आलेख में यह पाया गया है कि जब टीए बड़े पैमाने पर हैं, और उनकी संख्या काफी घटती है तो ऐसी स्थिति में कल्याण में कमी आ जाती है। परंतु कल्याण तब सर्वाधिक स्तर पर पहुंचता है जब विश्व में एक ही टीए होता है, जिसके अंतर्गत सभी देश शामिल हैं और विश्व मुक्त व्यापार की ओर आगे अग्रसर होता है। क्रमैन ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश टीए नैसर्गिक व्यापार पद्धति के अंतर्गत शामिल हैं, ऐसे में व्यापार अपयोजन की संभावना काफी कम है और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार की ओर अग्रसर होने से मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल सदस्यों के लिए नुकसान कम, अपितु लाभ अधिक मिलेगा।

भारत के मामले में अध्ययनों ने विभिन्न प्रयोगसिद्ध विनिर्देशों का प्रयोग करते हुए टीए के प्रभाव का विश्लेषण किया

है, जिसके तहत पूर्व-पश्च मूल्यांकन से लेकर जीटीएपी (वैश्विक व्यापार विश्लेषण परियोजना)⁴ और स्मार्ट⁵ ढांचों के अंतर्गत विश्लेषण शामिल हैं। संपूर्ण व्यापार उदारीकरण परिदृश्य युक्त भारत-एसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) एफटीए के प्रभाव के पूर्वगामी विश्लेषण पर आधारित अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत की आबंटनमूलक दक्षता बढ़ेगी, वहीं व्यापार प्रभाव की स्थिति लगातार खराब होती जाएगी और ऋणात्मक रहेगी (अहमद, 2010 और सिकदार एवं नाग 2011)। पश्चगामी विश्लेषण पर आधारित अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इंडिया-एसियान एफटीए के बाद एसियान को भारत द्वारा किए गए निर्यातों में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसमें थाइलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपिंस और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मामले में सर्वाधिक एक्सेस मिला। तथापि, अंतरा-एसियान व्यापार के संबंध में इंडिया-एसियान टीए का कोई खास प्रभाव नहीं रहा (वेंकटेश और भट्टाचार्य (2014))। इंडिया-कोरिया टीए पर शेषाद्वि (2015) द्वारा किए गए अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि टैरिफ में उत्तरोत्तर कटौती के परिणामस्वरूप टीए की उपयोगिता में निरंतर सुधार हुआ। तथापि, कोरिया को भारत द्वारा किए गए समग्र निर्यातों में बढ़ोतरी नहीं हुई और केवल कतिपय क्षेत्रों में ही वृद्धि दर्ज हुई। भारत श्रीलंका एफटीए संबंधी अध्ययनों में यह पाया गया कि दोनों देशों के बीच हुए व्यापार प्रवाहों में मामूली बढ़ोतरी हुई, जिसमें दोनों भागीदारों के निर्यात समूह में विविधता थी (मुखर्जी और उनके सहयोगी (2002), वीराकून और उनके सहयोगी (2006), जोशी (2012))। परंतु सारस्वत और उनके सहयोगी (2018) द्वारा किए गए हाल के अध्ययन में यह दलील दी गई कि जहां तक भारत के निर्यात का मामला है वह मूल्य, जैसे टैरिफ कटौती या उसका हटाया जाना, में परिवर्तन की तुलना में आय में परिवर्तन के प्रति काफी अधिक संवेदनशील है। भारतीय व्यापारियों

⁴ स्केल पर लगातार रिटर्न के साथ मानक जीटीएपी मॉडल एक मल्टीरिजन, मल्टीसेक्टर, कम्प्यूटेशनल सामान्य संतुलन मॉडल है। यह ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस केंद्र पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, यूएसए द्वारा विकसित किया गया है।

⁵ स्मार्ट विश्व बैंक के वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन (डब्ल्यूआईटीएस) के अंतर्गत उपलब्ध एक अंतर्निहित विश्लेषणात्मक उपकरण है। स्मार्ट फ्रेमवर्क में प्रोफेसर जोसेफ फ्रेंकोइस और कीथ हॉल द्वारा ग्लोबल सिमुलेशन मॉडल विकसित किया गया है। मॉडल, उद्योग (उत्पाद) स्तर पर वैश्विक व्यापार नीति में बदलाव का एक आंशिक संतुलन विश्लेषण है। फ्रेमवर्क राष्ट्रीय उत्पाद अंतर का प्रयोग करते हुए उद्योग स्तर पर व्यापार नीति में वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव, के साथ-साथ मूल्यांकन करता है।

(लगभग 25 प्रतिशत से कम) ने भी टीए संबंधी सूचना का अभाव, निम्न तरजीह मार्जिन और मूल नियमावली से संबद्ध प्रशासनिक लागतों जैसे अन्यान्य कारणों से टीए का काफी कम पैमाने पर उपयोग किया है।

कुल मिलाकर, मौजूदा सामग्री ने बाहरी व्यापार और कल्याण पर व्यापार समझौतों का मिश्रित प्रभाव दर्शाया है। व्यापार समझौते से संसाधनों का पुनर्आबंटन होगा और इससे कुछ हद तक व्यापार सृजन और व्यापार विपथन होगा। हालांकि, इनमें से हरेक अध्ययन इस प्रभाव को निर्धारित करने में समय-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट कारकों को उजागर है।

IV. भारत और व्यापार समझौते

भारत ने पिछले कई वर्षों में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते किए हैं। ये समझौते सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार पर अधिमानी ब्याज दरें ऑफर करने के अलावा सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा में व्यापार के क्षेत्र में व्यापक आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं। इन व्यापार समझौतों में से कुछ वस्तुओं के व्यापार में प्रशुल्क कटौती से परे चले गए हैं और सेवाओं और निवेश में उदारीकरण जैसे अन्य घटकों को शामिल करते हैं। पहला व्यापार समझौता, जिसका एक भारत सदस्य बना, वह 1975 का बैंकॉक समझौता था। 2005 में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच के इस क्षेत्रीय पहल को एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता (एपीटीए) के रूप में नया रूप दिया गया। भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत-श्रीलंका एफटीए (आईएसएफटीए) पर दिसंबर 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2001 में लागू हुआ था। इसके बाद भारत ने 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (एसएफटीए), 2005 में सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए), 2010 में भारत-एसईएन एफटीए, 2010 में भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए), 2011 में भारत-मलेशिया सीईसीए और भारत-जापान सीईपीए लागू किया। सार्क अधिमानी व्यापार समझौता (एसएपीटीए) भारत और अन्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (एसएआरसी) देशों के बीच एक अधिमानी समझौता है।

पिछले एक दशक में भारत की व्यापार नीति उल्लेखनीय रूप से क्षेत्रीयता की ओर एक उन्मुख हुई है। भारत का लगभग

54 देशों⁶ के साथ अधिमानी पहुंच, आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) हैं। भारत ने लगभग 18 समूहों / देशों⁷ के साथ सीईपीए/ सीईसीए/ एफटीए/ अधिमानी व्यापार समझौतों (पीटीए) के रूप में द्विपक्षीय व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिमानी व्यवस्था/ योजनाएँ जिसके तहत भारत को प्रशुल्क वरीयताएँ प्राप्त हो रही थीं, सामान्यीकृत प्रणाली वरीयताएँ (जीएसपी) और वैश्विक व्यापार वरीयताएँ (जीएसटीपी)⁸ हैं। वर्तमान में, जीएसटीपी के 43-सदस्य देश हैं और भारत ने सीमित उत्पादों पर 12 देशों के साथ प्रशुल्क रियायतों का आदान-प्रदान किया है (चार्ट 2)।

भारत और कई एशियाई देशों ने एक सीईसीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों में व्यापार तथा शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वायु सेवाओं तथा बौद्धिक संपदाओं में आर्थिक सहयोग के समझौतों का एक एकीकृत पैकेज है। ये समझौते स्रोत के नियमों (रूल्स ऑफ ऑरिजिन) को निर्धारित करते हैं, जो निर्यात के लिए प्रशुल्क अधिमान हेतु पात्र होने के लिए अवश्य पूरे होने चाहिए। सारणी 1 भारत के प्रमुख व्यापार समझौतों का एक व्यापक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

1990 के दशक की शुरुआत से भारत के व्यापार समझौते तेजी से प्रचलित हुए हैं। महत्वपूर्ण परिकल्पना यह जांचने के लिए है कि क्या इन क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों का बाद के समय

⁶ स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।


⁷ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रिमेंट (पीटीए) में दो या दो से अधिक साझेदार टैरिफ लाइनों की सहमत संख्या पर टैरिफ को कम करने के लिए राजी होते हैं। साझेदार जिन उत्पादों पर ड्यूटी कम करने के लिए सहमत होते हैं उनकी सूची को सकारात्मक सूची कहा जाता है। भारत मर्कोसूर पीटीए इसका एक उदाहरण है। हालांकि, आम तौर पर पीटीए सभी व्यापार को पर्याप्त रूप से कवर नहीं करते हैं।

एक फ्री ट्रेड एग्रिमेंट (एफटीए) में, साझेदार देशों के बीच पर्याप्त द्विपक्षीय व्यापार को कवर करने वाली वस्तुओं पर शुल्क समाप्त हो जाते हैं; हालांकि प्रत्येक गैर-सदस्यों के लिए व्यक्तिगत टैरिफ संरचना बनाए रखता है। भारत श्रीलंका एफटीए इसका एक उदाहरण है। एक एफटीए और एक पीटीए के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पीटीए में उत्पादों की एक सकारात्मक सूची होती है, जिस पर ड्यूटी को कम करना होता है; एफटीए में एक नकारात्मक सूची होती है जिस पर ड्यूटी कम या समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार, आमतौर पर टैरिफ लाइनों (उत्पादों) के कवरेज में पीटीए की तुलना में एफटीए अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं जिस पर ड्यूटी को कम करना है।

कॉमप्रिहेंसिव इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एग्रिमेंट (CECA) और कॉमप्रिहेंसिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रिमेंट (CEPA): उन करारों का वर्णन करता है जिनमें आईपीआर और प्रतिस्पर्धा सहित अन्य क्षेत्रों के साथ माल, सेवाओं और निवेश पर एक एकीकृत पैकेज शामिल होता है। भारत कोरिया सीईपीए इसका एक उदाहरण है और यह व्यापार सुगमता और सीमा शुल्क सहयोग, निवेश, प्रतिस्पर्धा और आईपीआर जैसे अन्य क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है।

⁸ तथापि, युनाइटेड राज्यों ने भारत को दिए हुए जीएसपी लाभों (यूएसटीआर) को 5 जून 2019 से निकाल दिये हैं।

चार्ट 2: भारत का माल और सेवाओं का व्यापार भागीदारों के साथ करार




टिप्पणी : डब्ल्यूटीओ सांख्यिकीय आरटीए की भौतिक संख्या के बदले आरटीए के आवश्यक अधिसूचनाओं के आधार पर है। अतः आरटीए के अंतर्गत माल और सेवाएँ दोनों समाविष्ट हैं, भौतिक रूप से आरटीए एक होने के बावजूद, हम उन्हें दो अधिसूचनाओं (एक माल और अन्य सेवाओं) के रूप में मानते हैं।

स्रोत : विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), भारत का भागीदारी देशों के साथ किए गए क्षेत्रीय व्यापार करार को लाल रंग में दर्शाया गया है। 3 सितंबर 2019 को पहुँच।

सारणी 1: भारत का प्रमुख दुतरफा और क्षेत्रीय व्यापार करार

क्र. सं.	संक्षिप्त	समूह	सदस्य देश		एफटीए/पीटीए
			संख्या	नाम	
1	एपीटीए	एशिया पैसिफिक व्यापार करार	6	बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, श्रीलंका	आंशिक स्कोप करार (पीएस - ए) और आर्थिक समाकलन करार (ईआईए)
2	भारत का एशियन टीआईजी	भारत का एशियन व्यापार में माल करार	11	ब्रुनेल, कंबोडिया, भारत, इन्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम	एफटीए और ईआईए
3	बीआईएम एसटीईसी	बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थायलैंड इकोनॉमिक कोपरेशन	7	बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थायलैंड	समझौते के अंतर्गत
4	जीएसटीपी	व्यापार वरियता की वैश्विक प्रणाली	43	अल्जेरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेनिन, बोलिविया, ब्राज़ील, केमेरून, चिली, कोलम्बिया, क्यूबा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इक्वेडोर, इजिप्त, घाना, गुयाना, भारत, इन्डोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मेक्सिको, मोरोक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, निकारागुआ, नाइजेरिया, पाकिस्तान, पेरू, फिलिपाइन्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सुडान, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबागो, टूनीसिया, तंज़ानिया, वेनेजुएला, वियतनाम, जिम्बाब्वे	पीएसए
5	एमईआर सीओएसयूयार इंडिया	दक्षिणी सामान्य बाजार भारत	5	अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे और भारत	पीएसए
6	एसएफटीए	दक्षिण एशिया मुफ्त व्यापार करार	8	अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका	एफटीए
7	आईएसएलएफटीए	इंडो श्रीलंका एफटीए	2	भारत और श्रीलंका	एफटीए
8	आईएमसीईसीए	इंडो मलेशिया सीईसीए	2	भारत और मलेशिया	एफटीए और ईआईए
9	आईएससीईसीए	भारत सिंगापुर सीईसीए	2	भारत और सिंगापुर	एफटीए और ईआईए
10	जेआईसीईपीए	जापान भारत सीईपीए	2	भारत और जापान	एफटीए और ईआईए
11	आईकेसीईपीए	भारत कोरिया सीईपीए	2	भारत और दक्षिण कोरिया	एफटीए

स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।
विश्व व्यापार संगठन




में भारत और इसके समझौता पार्टनरों के बीच बढ़ते व्यापार⁹ के संदर्भ में वांछित परिणाम आए हैं। मूल्य के हिसाब से, पिछले दो दशकों में विश्व के साथ भारत का कुल व्यापार मजबूती से बढ़ा है (चार्ट 3)।

समझौता पार्टनर और गैर-पार्टनर देशों के साथ भारत के व्यापार का पृथक्करण दर्शाता है कि पिछले दो दशकों

में भारत और उसके व्यापार समझौता पार्टनरों के बीच अंतर-संबंध काफी मजबूत हुए हैं और लगातार आगे की ओर बढ़े हैं (चार्ट 4)।

अपने समझौता पार्टनर देशों के साथ भारत के व्यापार पर व्यापार समझौतों के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापार समझौतों के पूर्व/ उपरांत प्रभाव का



⁹ यह लेख भारत की कुल निर्यात और आयात (व्यापारिक माल) को दर्शाता है।

विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन पैन्ल डेटा का उपयोग करते हुए प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए 'डिफरेंस इन डिफरेंस'¹⁰ पद्धति का इस्तेमाल करता है। इस अध्ययन के लिए परीक्षित अनुमान इससे संबंधित है कि क्या ये समझौते सामान्यरूप से उच्चतर व्यापार की ओर अग्रसर होते हैं और विशेषरूप से किस प्रकार आयात और निर्यात में प्रगति हुई है। यह प्रयोगसिद्ध विनिर्देशन सदस्य देशों और गैर सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधों में होने वाले अंतर को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। इस अध्ययन में कुल 31 देशों को शामिल किया गया है जिनमें से 18 देश प्रयोगिक समूह (ट्रीटमेंट ग्रुप) के अंग हैं और 13 देश नियंत्रण समूह के अंग हैं। प्रयोगिक समूह में वे देश शामिल हैं जिनसे भारत का व्यापार करार है। नियंत्रण समूह में वे देश शामिल हैं जिनसे भारत का व्यापार करार नहीं है। व्यापार की प्रवृत्ति निर्धारित करने वाले चर-वस्तुओं को चुनने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण मॉडल से अनुमान लगाते हैं (टिनबर्गेन के पेपर (1962))। पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण मॉडल दो देशों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार सिद्धांत पर आधारित है तथा सीधे तौर पर इन दोनों देशों के आकार से (सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है) और प्रतिलोम रूप से दोनों देशों के बीच की दूरी से संबंधित है। इन माइक्रो फ़ाउंडेशन के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण मॉडल के कई मानदंड हैं जिसका शोधकर्ताओं ने उपयोग किए हैं।

इस अध्ययन के लिए हमारा यह मानना है कि साझेदार देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दोनों देश की अर्थव्यवस्था के आकार और वस्तुओं की मांग को निर्धारित करने में मदद करता है। हम देशों के द्विपक्षीय विनिमय दर लेने के द्वारा मूल्य ग्रहणशीलता को भी नियंत्रित करते हैं। यह अध्ययन वर्ष 2000 के बाद हस्ताक्षरित करार का विश्लेषण करता है, इसलिए इस विश्लेषण में 1996 से लेकर सभी देशों के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़े यानी 2017 तक का अध्ययन किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद और विनिमय दर संबंधी आंकड़े क्रमशः विश्व बैंक और आईएमएफ के डेटाबेस से लिए गए हैं। देशों के व्यापार प्रवाह से संबंधित आंकड़े, विश्व बैंक के वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन (WITS) डेटाबेस से लिए गए हैं।

¹⁰ डिफरेंस इन डिफरेंस (डीआईडी) तकनीक का उपयोग किया गया है अर्थमिति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डिफरेंस इन डिफरेंस (डीआईडी) तकनीक का उपयोग किया गया है, लेकिन इस पद्धति में अंतर्निहित तर्क 1950 के दशक में सामाजिक विज्ञान (लीचनर, 2011) में जॉन स्नो द्वारा स्थापित किया गया था जिसे 'अध्ययन से पहले और बाद में नियंत्रित' कहा जाता था। यह अनुमान उपचार समूह में उपचार के पहले और बाद में औसत परिणाम की भिन्नता दर्शाने की कोशिश करता है तथा इसमें से नियंत्रित परिणाम को घटाता है।

प्रयोगसिद्ध विनिर्देश इस प्रकार है:

$$LTr = a1 + a2 * LGDP_P + a3 * LGDP_I + a4 * (\text{country dummy} * \text{year dummy}) + \text{countryFE} + \text{yearFE} + e \quad \dots 1$$

$$Lexp = b1 + b2 * LGDP_P + b3 * LER + b4 * (\text{country dummy} * \text{year dummy}) + \text{countryFE} + \text{yearFE} + e \quad \dots 2$$

$$Limp = c1 + c2 * LGDP_I + c3 * LER + c4 * (\text{country dummy} * \text{year dummy}) + \text{countryFE} + \text{yearFE} + e \quad \dots 3$$

जहां,

Tr: यूएस डॉलर में साझेदार देश के साथ कुल व्यापार है;

Exp: यूएस डॉलर में साझेदार देश के साथ भारत का निर्यात;

Imp: यूएस डॉलर में साझेदार देश से भारत का आयात;
GDP_p: यूएस डॉलर में साझेदार देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद;

GDP_I: यूएस डॉलर में भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद;

ER: साझेदार देश के साथ भारत की द्विपक्षीय विनिमय दर;

Country dummy: जिन देशों के साथ भारत का व्यापार करार है उनके लिए डम्मी वेरियबल मूल्य 1 है अन्यथा 0 है;

Year dummy: करार वर्ष के प्रभावी होने की तारीख से चर वस्तुओं का मूल्य 1 है अन्यथा 0 है।

उपरोक्त समीकरण के सभी चर वस्तुओं को लघुगणकीय रूप में लिए गए हैं।

समीकरण 1 में, साझेदार देश और भारत के जीडीपी के गुणांक सकारात्मक हैं जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के आकार के साथ व्यापार बढ़ता है (सारणी 2)। इसके परिणाम इस बात की भी संकेत देते हैं कि निर्यात देशों के लिए आपूर्ति पक्ष के प्रभाव मांग पक्ष पर हावी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाले देश अधिक आपूर्ति (अपनी घरेलू मांग के सापेक्ष) के कारण निर्यात करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत आयात करने वाले देश के लिए यह सच है कि उच्च घरेलू मांग के कारण आयात अधिक होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों का अधिक व्यापार होता है। डम्मीस की सहभागिता संबंध सकारात्मक और सांख्यिकीय

सारणी 2: अनुमानित परिणाम

	(1)	(2)	(3)
	आईएनटीआर	आईएनएक्सपी	एलएनआईएमपी
आईएनजीडीपी_पी	0.354*** (0.0919)	0.332*** (0.0828)	
आईएनजीडीपी_आई	1.583*** (0.115)		2.138*** (0.174)
पारस्परिक क्रिया	0.162* (0.0796)	0.155* (0.0710)	0.478** (0.145)
आईएनई आर		0.0555 (0.0391)	-0.277*** (0.0787)
एन	594	594	594
आर-एस क्यू	0.835	0.847	0.664
वर्ष एफई	हाँ	हाँ	हाँ
देश एफई	हाँ	हाँ	हाँ
कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ।			
=* पी<0.05	** पी<0.01	*** पी<0.001'	


स्रोत : गणना डब्ल्यूआईटीएस डाटाबेस पर आधारित।


रूप से महत्वपूर्ण हैं जो यह दर्शाता है कि व्यापार पर भारत के व्यापार करार का समग्र प्रभाव सकारात्मक है। हम डिफरेंस-इन-डिफरेंस समीकरण को विघटित करते हुए निर्यात और आयात पर होने वाले प्रभाव का अलग से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 2, भारत के निर्यात की गतिशीलता का अनुमान प्रदान करता है जिससे यह पता चलता है कि व्यापार साझेदारों की सकल घरेलू उत्पाद में हुई 1 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात में 0.33 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यह परिणाम व्यापार करार की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। विनिमय दर का

गुणांक दर्शाता है कि जब विनिमय दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है (यानी, भारतीय मुद्रा का मूल्यहास होता है), तो भारत के निर्यात में 0.055 प्रतिशत की वृद्धि होती है, लेकिन इसकी मूल्य-सापेक्षता नगण्य होती है। समीकरण 2 में, ब्याज का गुणांक, यानी, इसकी सहभागिता अवधि सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। इस सहभागिता अवधि से यह पता चलता है कि गैर-साझेदार देशों की तुलना में करार हस्ताक्षरित होने के बाद साझेदार देशों के साथ भारत के निर्यात में, औसतन 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इसका सबूत हमें चार्ट 5 में मिलता है कि हालांकि साझेदार देशों के साथ भारत के कुल निर्यात में वृद्धि हुई है लेकिन हाल के वर्षों में हुए निर्यात का मध्यम लघुगणकीय मूल्य साझेदार और गैर-साझेदार देशों के लिए समान प्रतीत होता है।

अंत में, आयात पर अंतिम समीकरण यह दर्शाता है कि जैसे ही भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है, व्यापार साझेदार की स्थिति चाहे जो भी हो, आयात में 2.14 प्रतिशत की वृद्धि होती है। आयात के मामले में सहभागिता अवधि सकारात्मक और महत्वपूर्ण रही है। सहभागिता अवधि से पता चलता है कि करार के लागू होने के बाद गैर-व्यापार करार साझेदारों की तुलना में व्यापार करार साझेदारों से आयात में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बॉक्स चार्ट से यह भी पता चलता है कि पिछले वर्षों में, व्यापार करारवाले साझेदार देशों से भारत के आयात के मध्यम लघुगणकीय मूल्यों में गैर-व्यापार करार साझेदार देशों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है (चार्ट 6)।


चार्ट 5: भारत का निर्यात





उपरोक्त प्रयोगसिद्ध विश्लेषण, विशेष रूप से इन देशों से आयात करार हस्ताक्षरित होने के बाद भारत के साझेदार देशों के साथ व्यापार में सुधार का संकेत देता है। इन देशों के साथ भारत के निर्यात की तुलना में आयात में तेज गति से वृद्धि हुई है। यह उन देशों / क्षेत्रीय ब्लॉक्स के लिए सच है, जिनके साथ भारत ने हाल ही में व्यापार करार किया है, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और एसियन जहां भारत के निर्यात के प्रति आयात का अनुपात बढ़ा है (चार्ट 7)।

तथापि, इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल यह है कि इन साझेदार देशों से किन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। जैसा कि बुलेटिन में उल्लेख मिलता है कि आयात की लागत में कमी के कारण, उद्योगों को पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती आदानों की अधिक से अधिक पहुंच होती है जो घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा और दक्षता में सुधार ला सकते हैं (गोलदर और कुमारी, 2003, नागराज 2017)। इसके अतिरिक्त, देश साझेदार देशों से उन्नत प्रौद्योगिकी के आयात से लाभ उठा सकता है। इस प्रकार, प्रत्येक



सारणी 3: जापान से भारत को आयात

(हिस्सा प्रतिशत में)

क्षेत्रवार वर्गीकरण	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
पूँजीगत वस्तुएँ (यातायात उपकरण को छोड़कर)	48.4	47.9	46.9	46.7	50.5	50.0	46.1	47.5	45.7	45.5	42.2	42.8	38.8	45.6	40.9
उपभोक्ता वस्तुएँ	4.7	4.4	4.8	3.7	3.1	2.3	3.2	2.9	2.9	2.9	2.4	2.3	2.1	2.3	2.3
खाद्य और पेय	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	-	-	0.1	-
ईंधन और ल्यूब्रीकेंट्स	2.6	3.4	0.8	1.6	3.1	5.9	3.0	1.8	3.6	3.3	2.2	2.1	2.2	1.5	2.3
औद्योगिक आपूर्ति	37.1	33.4	35.0	30.7	32.3	30.9	33.4	37.6	37.6	37.9	42.7	42.1	47.2	39.9	43.7
यातायात उपकरण	7.2	10.9	12.5	17.3	11.0	10.9	14.3	10.2	10.0	10.2	10.4	10.7	9.7	10.6	10.8
कुल	100.0														

- : कुछ नहीं अथवा नगण्य

स्रोत : डब्ल्यूआईटीसी डाटाबेस पर आधारित लेखक की गणना।

व्यक्तिगत साझेदार देश से आयात और निर्यात समूह की संरचना की सावधानी पूर्वक परीक्षण हमें और अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है कि व्यापार करार लागू होने के बाद किन वस्तुओं में वृद्धि हुई है। जापान के मामले में, करार के कार्यान्वयन के बाद भारत ने ज्यादातर औद्योगिक आपूर्ति, पूँजीगत वस्तुएं और परिवहन उपकरणों के आयात किए हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत हो सकता है क्योंकि इन वस्तुओं का उपयोग, तैयार माल के उत्पादन के निवेश के रूप में किया जा सकता है और इस तरह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर सकती है (सारणी 3)।

कोरिया के मामले में, पूँजीगत वस्तुओं और औद्योगिक आपूर्ति के आयात में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है (सारणी 4)।

एसियन देशों के मामले में, आयात किए गए वस्तुओं के विघटन से उपभोक्ता वस्तुओं या पूँजीगत वस्तुओं के पक्ष में कोई विशेष पूर्वाग्रह दिखाई नहीं देता है। खाद्य और पेय पदार्थों, औद्योगिक आपूर्ति और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है, जबकि ईंधन और लूब्रिकेंट्स, पूँजीगत वस्तुएं और परिवहन उपकरण के आयात में गिरावट देखी गई है (सारणी 5)।

सारणी 4: कोरिया से भारत को आयात

(हिस्सा प्रतिशत में)

क्षेत्रवार वर्गीकरण	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
पूँजीगत वस्तुएँ (यातायात उपकरण को छोड़कर)	57.7	49.2	52.2	44.2	35.1	31.4	27.0	33.3	30.5	31.6	28.4	29.8	34.5	31.4	31.5
उपभोक्ता वस्तुएँ	3.3	2.5	2.7	2.9	2.1	1.8	2.8	2.5	2.5	2.1	2.4	2.1	2.6	3.4	10.7
खाद्य और पेय	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	-	-	-	-	-
ईंधन और ल्यूब्रीकेंट्स	0.1	0.1	0.1	8.3	8.2	9.6	12.5	7.1	7.4	6.7	5.5	7.1	5.1	5.2	4.9
औद्योगिक आपूर्ति	26.8	27.0	30.1	33.5	42.4	43.5	39.2	45.1	47.4	48.0	53.3	51.9	48.9	49.8	45.6
यातायात उपकरण	12.0	21.2	14.9	11.1	12.2	13.7	18.5	11.9	12.0	11.5	10.4	9.1	8.9	10.2	7.3
कुल	100.0														

- : कुछ नहीं अथवा नगण्य

स्रोत : डब्ल्यूआईटीसी डाटाबेस पर आधारित लेखक की गणना।

सारणी 5: एसीईएन देशों से भारत को आयात

(हिस्सा प्रतिशत में)

क्षेत्रवार वर्गीकरण	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
खाद्य और पेय	10.9	15.6	8.5	4.6	3.5	5.0	8.3	6.6	5.4	6.5	7.5	5.9	6.9	9.1	7.5
औद्योगिक आपूर्ति	51.7	42.9	44.4	37.8	37.4	34.0	39.5	42.5	44.2	43.8	42.5	44.4	43.8	42.5	46.0
ईंधन और ल्यूब्रीकेंट्स	3.1	5.3	9.8	26.5	29.6	37.7	24.7	24.6	26.7	24.0	24.3	26.4	20.9	19.9	19.8
पूँजीगत वस्तुएँ (यातायात उपकरण को छोड़कर)	26.7	27.5	28.4	22.8	22.3	15.7	19.6	18.3	16.7	17.6	18.1	15.9	19.5	19.2	17.6
यातायात उपकरण	3.7	4.4	4.2	4.2	3.5	4.8	4.0	4.2	3.5	4.0	3.7	3.4	4.0	4.7	3.3
उपभोक्ता वस्तुएँ	3.9	4.3	4.7	4.1	3.7	2.8	3.9	3.8	3.5	4.1	3.9	4.0	4.9	4.6	5.8
कुल	100.0														

स्रोत : डब्ल्यूआईटीसी डाटाबेस पर आधारित लेखक की गणना।

V. निष्कर्ष

इस अध्ययन में भारत द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार करार के प्रभाव का मात्रात्मक मूल्यांकन किया गया है। साझेदार देशों के साथ भारत के व्यापार प्रवाह में हुई बढ़ोत्तरी और गैर-टीए साझेदार देशों की तुलना में व्यापार में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए इस अध्ययन में डिफरेंस इन डिफरेंस पद्धति का उपयोग किया गया है। व्यापार करार की समाप्ति पर भारत और साझेदार देशों के बीच के व्यापार प्रवाह में वृद्धि पायी गयी। तथापि निर्यात में होने वाली वृद्धि, आयात में होने वाली वृद्धि की गति के साथ मेल नहीं खाती है। इसके संभाव्य कारणों में से एक यह हो सकता है कि भारत की दर-सूची, व्यापार साझेदार देश की दर-सूची से बहुत अधिक है, इसलिए साझेदारी देशों के लिए दर-सूची में की गई प्रभावी कटौती अधिक रही जिसके परिणामस्वरूप आयात में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई¹¹। व्यापार करार का एक सकारात्मक प्रभाव है पूंजी वस्तुओं की लदाई बढ़ी और व्यापार साझेदार अर्थव्यवस्था से प्राप्त औद्योगिक आपूर्ति बढ़ी। देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में इसका परोक्ष योगदान किया होगा। आगे व्यापार करार पर अत्यधिक ध्यान दिलाना आवश्यक है जिससे वैश्विक मूल्य चेइन में एकीकरण बढ़ाने में उपयोगी होगा। व्यापार करार के ज़रिए उत्पादों के लिए नई बाज़ार की पहुंच भी साध्य हो, जहां देश अपने समकक्ष देशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अग्रणी होता है। तथापि व्यापार करार के प्रभाव पर स्थिर निष्कर्ष देने के लिए भावी अनुसंधान के दायरे में प्रत्येक साझेदारी देशों द्वारा किए गए सेवा क्षेत्र उदारीकरण को भी शामिल किया जाना है।

संदर्भ

Abrams, R K. (1980), 'International Trade Flows under Flexible Exchange Rates'. *Economic Review*, Federal Reserve Bank of Kansas City, 3-10.

Aitken, N. D. (1973). 'The Effect of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-section Analysis'. *The American Economic Review*, 63(5), 881-892.

¹¹ आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16.

Ahmed, S. (2010). 'India-ASEAN Free Trade Agreement: A Sectoral Analysis'. Available at SSRN 1698849.

Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2007). 'Do Free Trade Agreements Actually Increase Members' International Trade?'. *Journal of International Economics*, 71(1), 72-95.

Bergstrand, J. H. (1985). 'The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence.' *The review of economics and statistics*, 474-481.

Bhagwati, J., & Krueger, A. O. (1995). 'The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements'. Washington. DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research.

Brada, J. C., & Mendez, J. (1983). 'Regional Economic Integration and the Volume of Intra-Regional Trade: A Comparison of Developed and Developing Country experience'. *Kyklos*, 36(4), 589-603.

Burfisher, M. E., Robinson, S., & Thierfelder, K. (2001). 'The Impact of NAFTA on the United States'. *Journal of Economic perspectives*, 15(1), 125-144.

Brown, A. (2003). *Reluctant partners. A history of multilateral trade cooperation, 1850-2000*, Ann Arbor. The University of Michigan Press.

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. (2019). 'Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. Available at SSRN 3148250'.

Corden, M. (1972). 'Economies of Scale and Customs Union Theory'. *Journal of Political Economy* 80: 465-475.

Ministry of Finance 2016 'Economic Survey'.

Frankel, J., Stein, E., & Wei, S. J. (1995). 'Trading Blocs and the Americas: The Natural, The Unnatural, and The Super-Natural'. *Journal of development economics*, 47(1), 61-95.

Hannan, S.A. (2016). *The Impact of Trade Agreements: New Approach, New Insights*. International Monetary Fund.

Goldar B., and Kumari, A. (2003). 'Import Liberalisation and Productivity Growth in Indian

- Manufacturing Industries in the 1990s.' *The Developing Economies*, 41(4), 436-60.
- Joshi, V. (2012). 'Econometric Analysis of the India-Sri Lanka Free Trade Agreement'. *Asian Economic Journal*, 26(2), 159-180.
- Kituyi M. (2018). '*The Costs of Trade war.*' UNCTAD.
- Krugman, P. (1991). '*Is Bilateralism Bad? in International Trade and Trade Policy.*' E. Helpman and A Razin, eds. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 9 – 23.
- Lechner, M. (2011). 'The Estimation of Causal Effects by Difference-In-Difference Methods. *Foundations and Trends in Econometrics*', 4(3), 165-224.
- Lipsey, R. (1958). '*The Theory of Customs Unions: A General Equilibrium Analysis*'. University of London.
- McMillan J and McCann. E. (1981) 'Welfare Effects in Customs Unions.' *The Economic Journal*, 91(363):697–703, ISSN 0013-0133.
- Meade, J. E. (1955). '*The Theory of International Economic Policy: Supply, Trade and Welfare; Mathematical supplement*' (Vol. 2). Oxford University Press.
- Mukherji, I. N., Jayawardhana, T., Kelegama, S., (2002), '*Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement: An Assessment of Potential and Impact*'.
- Mundell, R. (1964). '*Tariff Preferences and the Terms of Trade*'. Manchester School of Economic and Social Studies. 1-13.
- Nagraj, R. (2017). 'Economic Reforms and Manufacturing Sector Growth' *Economic and Political Weekly*, 52(2), 61.
- Panagariya, A. (2000). 'Preferential Trade Liberalisation: The Traditional Theory and New Developments'. *Journal of Economic literature*, 38(2), 287-331.
- Parthapratim P. and Dasgupta M. (2009), 'The ASEAN-India Free Trade Agreement: An Assessment'. *Economic & Political Weekly*, Vol. XLIV No. 38, September.
- Saraswat V. K., Prachi Priya and Aniruddha Ghosh (2018). 'A Note on Free Trade Agreements and Their Costs.' National Institute for Transforming India.
- Seshadri V. S. (2015), 'India-Korea CEPA - An Appraisal of Progress'. Research and Information System for Developing Countries (RIS).
- Sikdar, C., & Nag, B. (2011). 'Impact of India-ASEAN Free Trade Agreement: A Cross-Country Analysis Using Applied General Equilibrium Modelling', (No. 107). *ARTNeT Working Paper Series*.
- Stevens, C., Irfan, I., Massa, I., & Kennan, J. (2015). '*The Impact of Free Trade Agreements between Developed and Developing Countries on Economic Development in Developing Countries: A Rapid Evidence Assessment*'. Overseas Development Institute, London. Overseas Development Institute, ODI.
- Tinbergen, J.(1962). '*Shaping the World Economy*'. Twentieth Century Fund, New York.
- Vanek, J. (1965). '*General Equilibrium of International Discrimination: The Case of Customs Unions*'. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Veeramani, C., & Saini, G. K. (2011). 'Impact of ASEAN-India Preferential Trade Agreement on Plantation Commodities: A Simulation Analysis'. *Economic and Political Weekly*, 83-92.
- Venkatesh V. & Bhattacharyya R (2014). 'The ASEAN Free Trade Agreement: How Effective?'. *Working Papers 1425*, Indian Institute of Foreign Trade.
- Viner, J. (1950). '*The Custom Union*'. Carnegie Endowment for International Peace, New York.
- Weerakoon, D. and Thennakoon, J. (2006). '*India -Sri Lanka FTA*'. *CUTS International Lessons for SAFTA*.
- Wooton, I. (1986). 'Preferential Trading Agreements: An Investigation'. *Journal of International Economics*, 21(1-2), 81-97.
- World Trade Organisation, (2011). '*World Trade Report*'.


अनुबंध 1

व्यापार सृजन और व्यापार विपथन की संकल्पना

व्यापार सृजन की परिभाषा वैनर द्वारा इस प्रकार दी जाती है कि दर-सूची में कटौती के कारण व्यापार व्यवस्था के साझेदारों के बीच होने वाले वस्तुओं का अतिरिक्त प्रवाह होने का परिदृश्य। यह आयात करने वाले देश में घरेलु उत्पाद का स्थान लेता है।

व्यापार सृजन की संकल्पना चार्ट ए1 में वर्णित किया गया है। चार्ट में देश ए के लिए आपूर्ति और मांग रेखा संबंधी सूचना दी गई है। यह माना जाए कि देश बी और देश सी के बीच जब कोई दर-सूची प्रभारित नहीं किया जाता तब उनका आपूर्ति मूल्य क्रमशः $P^{बी}$ और $P^{सी}$ हो। यह माना जाए कि देश सी द्वारा, देश बी की तुलना में उस वस्तु को न्यून मूल्य पर आपूर्ति करने की क्षमता है। यदि देश ए द्वारा देश बी और देश सी दोनों से प्राप्त होने वाले वस्तुओं पर विशेष दर $T^{बी} = T^{सी} = T^*$ प्रभारित किया जाता है, तो इसके कारण देश बी और देश सी से देश ए द्वारा आयात किए गए वस्तुओं का आयात मूल्य बढ़ता है। निर्धारित दर के साथ आत्मनिर्भरता के अधीन, देश ए में मूल्य (पीए) दर लगाए गए मूल्य $P^{बी}$ और $P^{सी}$ से कम है, इसलिए वस्तु को आयात नहीं किया जाएगा। इसकी जगह देश ए अपनी घरेलु मांग की आपूर्ति करेगा इसलिए $E^1 = Z^1$ होगा। अब इस प्रकार की स्थिति की परिकल्पना की जाए कि देश ए और देश बी के बीच अबाध व्यापार करार निष्पादित है और देश ए द्वारा देश बी के आयात पर दर संपूर्ण रूप से निरसन प्रदान किया जाता है। देश बी और देश सी से आयात किए गए वस्तुओं के लिए देश ए के उपभोक्ताओं द्वारा अदा किया जाने वाला शुल्क अब क्रमशः $P^{बी}$ और $P^{सी}$ होगा। $P^{बी}$ $P^{सी}$ से कम होने के कारण देश ए, अबाध व्यापार करार के बाद देश बी से उत्पाद का आयात करेगा जिसे ब्लू लैन डिस्टन्स अथवा $Z^2 - E^2$ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अबाध व्यापार करार के कार्यान्वयन के साथ देश बी से देश ए में इन वस्तुओं का आयात किया जाता है, जो कि पहले व्यवहार्य नहीं रहा। इसलिए इन वस्तुओं में व्यापार को सृजित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जब व्यापार प्रवाह लागत-दक्ष साझेदार से कम दक्षता साझेदार की ओर विपथन किया जाता है तो व्यापार विपथन में इसकी विपरीत स्थिति होती है। कम दक्षता देश अबाध व्यापार करार का सदस्य बनता है और अपने माल को साझेदार देश को कम दाम पर उपलब्ध कराता है, जो कि गैर-साझेदार (यदि उन्हें दर में कटौती की जाती तो) के मामले में अधिक है। यह



(जारी...)

परिकल्पना चार्ट 2 में वर्णित है जिसके अनुसार दर लगाए जाने के बाद, उत्पाद को देश सी से आयात करने पर सस्ता पड़ जाता है। अबाध व्यापार करार न होने की स्थिति में देश ए द्वारा देश सी से उत्पाद का आयात किया जाएगा, और प्रारंभिक स्तर पर देश बी के साथ व्यापार नहीं किया जाएगा। देश ए द्वारा आयात किए गए कुल माल लाल रेखा में अथवा डी¹-एस¹ दूरी द्वारा अंकित है। देश ए द्वारा वसूल किए गए दर राजस्व, आयात की मात्रा गुणज के दर के रूप में दिया गया है। अब यह मान लें कि देश ए और देश बी के बीच मुक्त व्यापार करार हस्ताक्षरित हो और देश ए द्वारा देश बी के आयात पर दर हटा दिया जाता है। अब टी^{सी} = 0 लेकिन टी^{सी} अभी भी टी^{सी} ही रह जाता है। देश ए के उपभोक्ताओं द्वारा पीबी अदा किया जाता है, आयात डी² - एस² के रूप में बढ़ेगा, जिसे नीली रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। चूंकि देश सी में गैर विरूपित (यानी मुक्त व्यापार) मूल्य, देश बी में मूल्य से कम है इसलिए व्यापार अत्यधिक प्रभावशाली आपूर्तिकर्ता से न्यून प्रभावशाली आपूर्तिकर्ता की ओर विपथन किया गया है।